पीठासीन अधिकारी :– कैलाश चन्द्र शर्मा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 859/2016

1. लालचन्द }
2. औमप्रकाश } पिसरान श्री दौलतराम जाति जाट निवासी ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – प्रार्थीगण

–:: बनाम ::–

1. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

– :: निर्णय ::–

दिनांक :– 28.10.2016

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के नाम चक 12 एल.एल. पटवार हल्का ततारसर के खाता संख्या 49/30 का मुरब्बा नम्बर 10, 11, 21, 35, 56, 57, 58, 59, 60, 61 की कुल 49.069 नहरी मय खाला कृषि भूमि में से 0.909 हैक्टर कृषि भूमि संयुक्त खाता में दर्ज कागजात माल थी, इसके बाद प्रार्थीगण को 0.404 हैक्टर भूमि हम प्रार्थीगण को जरिये दस्तबरदारी प्राप्त हुआ तथा इन्तकाल संख्या 331 के द्वारा उक्त 0.404 हैक्टर रकबा का इन्तकाल हम प्रार्थीगण के नाम से बहिस्सा बराबर दर्ज हो गया इसके बाद पुनः 0.682 हैक्टर रकबा हम प्रार्थीगण को जरिये दस्तबरदारी प्राप्त हुआ तथा इन्तकाल संख्या 337 के द्वारा उक्त 0.682 हैक्टर रकबा का इन्तकाल इम प्रार्थीगण के नाम से बहिस्सा बराबर दर्ज हो गया।

वर्तमान में हम प्रार्थीगण 1.995 हैक्टर रकबा के बहिस्सा बराबर मालिक व काबिज है, मगर कलेरिकल मिस्टेक के कारण जमाबन्दी में हमारे नाम से 1.985 हैक्टर रकबा ही दर्ज है। जिसकी प्रार्थीगण दुरूस्ती करवाना चाहते है। अतः उक्त भूमि की रिकार्ड में दुरूस्ती की जाकर प्रार्थीगण के नाम से 1.995 हैक्टर बहिस्सा बराबर रकबा दर्ज किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर से रिपोर्ट प्राप्त की गई मुताबिक पटवारी रिपोर्ट तथा तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट के अनुसार इन्तकाल संख्या 337 में दस्तबरदारी द्वारा भगवन्ती व राजवन्ती नें अपना 0.682 है रकबा लालचन्द व औमप्रकाश के पक्ष में बहिस्सा दस्तबरदार कर दिया व इसी इन्तकाल संख्या 337 में लालचन्द व औमप्रकाश पिसरान दौलतराम का रकबा 1.313 हैक्टर की जगह 1.303 हैक्टर सहवन से दर्ज हो गया। इस प्रकार लालचन्द व औमप्रकाश का रकबा (1.313 + 0.682 कुल 1.995) की बजाय (1.313 + 0.682 कुल 1.985) दर्ज हो गया। अतः 1.995 किये जानें की अनुशंषा की गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तहसीलदार श्रीगंगानगर के द्वारा की गई अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर लालचन्द व औमप्रकाश पिसरान दौलतराम का उक्त वर्णित चक नम्बर चक 12 एल.एल. पटवार हल्का ततारसर के खाता संख्या 49/30 में 1.995 हैक्टर दर्ज किये जानें के आदेश दिये जाकर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद के आदेश दिये जाते है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर